"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 898] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 27 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 6, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/3730/21–ब/छ.ग./2025.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, बिलासपुर को उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं।

No. 3730/XXI-B/C.G./2025. — In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Vivek Sharma, Additional Advocate General, Bilaspur as Advocate General of the State of Chhattisgarh with effect from the date he assumes charge of his office.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.